भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाषः 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/20/2022/एफ0 सी0/1807 दिनांक: 30 /03/2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनीं,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

**विषयः– जनपद– पिथौरागढ़ में मुख्यमंत्री घोषणा संख्या – 901/2017 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र धारचूला के बलुवाकोट पैय्यापौडी मोटर मार्ग के विस्तार किमी0 9.40 से 16.40 तक चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण हेतु 4.335 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में। (Online No. FP/UK/ROAD/67274/2020)**

**सन्दर्भः–कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक – 1389/FP/UK/ ROAD/67274/2020 दिनांक 06-12-2021**

महोदय,

उपर्युक्त प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव में निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गयी। राज्य सरकार निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक सूचनायें प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके:–

1. ऑनलाईन पोर्टल के पैरा बी 2.3 पर village wise break up का ब्यौरा ठीक रूप से नहीं प्रस्तुत किया गया है। अतः राज्य सरकार दोनों ग्रामों मे पड़ने वाले भू–भाग का पृथक–पृथक रूप से सम्पूर्ण ब्यौरा इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।
2. ऑनलाईन पोर्टल के पैरा B 2.4 component wise break up में प्रस्ताव में सम्मिलित bridge construction का जिक्र नहीं किया गया है। अतः राज्य सरकार पैरा B 2.4 component wise break up में पुल निर्माण अंकित करने का कष्ट करें।
3. प्रस्तावित alignment को के0एम0एल0 फाईल पर प्रर्दर्शित नहीं किया गया है केवल लाभान्वित गांवों को ही दर्शाया गया है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि प्रस्तावित alignment को के0एम0एल0 फाईल पर पर्दर्शित कर इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।
4. प्रस्ताव में यह ज्ञात होता है कि उक्त प्रत्यावर्तन मौजूदा मार्ग के widening से सम्बन्धित है किन्तु मार्ग निर्माण हेतु दिये गये औचित्य से यह स्पष्ट नहीं होता है। अतः राज्य सरकार प्रस्तावित प्रस्ताव हेतु ऑनलाईन पैरा D (i) पर सही औचित्य अपलोड करने का कष्ट करें।

5. अमुख प्रस्ताव में यह स्पष्ट नहीं है कि पूर्व निर्मित मार्ग का निर्माण क्या 1980 से पूर्व किया गया था ? यदि हो तो राज्य सरकार इस सन्दर्भ में उपयुक्त प्रमाण जैसा कि गाईडलाईन पैरा 1.13 मे वर्णित है प्रेषित करेगी। यदि मार्ग जो पूर्व निर्मित है के लिये कोई एफ.सी.ए.,1980 के प्रावधानो के अन्तर्गत अनुमोदन ली गयी हो तो स्पष्ट कर इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।
6. प्रस्ताव में प्रस्तावित चौड़ाई 9.00 मी0 ली गयी है, किन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि क्या पूर्व निर्मित मार्ग की चौड़ाई को भी इसमे सम्मिलित किया गया है अथवा चाही जा रही चौड़ाई पूर्व चौड़ाई के अतिरिक्त है सम्पूर्ण जानकारी को chainage wise विवरण इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।
7. Employment details para E (iii) को सही रूप में भरा नहीं गया है। राज्य सरकार Employment details को पैरा para E (iii) मे सही रूप से अंकित करने का कष्ट करें।
8. राज्य सरकार एन0पी0वी0 गणना संशोधित रेट पर दिनांक 06.01.2022 के आधार पर इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।
9. मलवा निस्तारण हेतु गैर–वन भूमि का चयन नहीं किया गया है साथ ही मलवा निस्तारण भूमि पर enumeration detail प्रेषित करने का कष्ट करें। साथ ही मलवा निसतारण योजना में calculation सही नहीं की गयी है तथा कुल गणना में 11832 cum मलवा निस्तारण दर्शित नहीं है। आपसे अनुरोध है कि सही गणनित मलवा निस्तारण योजना प्रेषित करने का कष्ट करें।
10. सी.ए. क्षेत्र में के0एम0एल0 फाईल का shape digital मानचित्र के साथ match नहीं हो रहा है। अतः राज्य सरकार सी.ए. क्षेत्र में के0एम0एल0 फाईल का shape digital मानचित्र के साथ match करवाकर इस कार्यालय मे प्रेषित करने का कष्ट करें। साथ ही कुल भूमि मे से 4.0 हे0 क्षेत्र MDF आ रहा है जिसका राज्य सरकार पूर्नवलोकन कर संशोधित करने का कष्ट करें।

उपरोक्त त्रृटियों की पूर्तता के उपरांत ही प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी एवं यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

(डॉ योगेश गैरोला)
तकनीकी अधिकारी

**प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–**

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

(डॉ योगेश गैरोला)
तकनीकी अधिकारी